फोन: 05278 245957
फैक्स: 05278 248123

डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक: लो0अ0वि0/सम्ब0/2019/986

दिनांक : 04–05–2019

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश **दिनॉक 04–05–2019** के अनुपालन में **एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड, हारीपुर, गोण्डा** को स्नातक स्तर पर आयुष संकाय के अन्तर्गत **बेचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बी0ए0एम0एस0)** पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक **सत्र 2018–19** हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. संस्था आयुष मंत्रालय/सी0सी0आई0एम0 नई दिल्ली के प्राविधान के अनुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा उनकी निरन्तरता सुनिश्चित करेंगी।
2. संस्था उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा आयुर्वेदिक कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं सी0सी0आई0एम0 नई दिल्ली, निदेशक, आयुर्वेद पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन, उ0प्र0, लखनऊ, उ0प्र0 शासन तथा विश्वविद्यालय के दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्थान द्वारा संस्थान में प्रवेशित छात्र/छात्राओं एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं सी0सी0आई0एम0 नई दिल्ली, निदेशक आर्युर्वेद पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन, उ0प्र0 लखनऊ तथा विश्वविद्यालय को उनके निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी, तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित छात्र/छात्राओं की परीक्षा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं सी0सी0आई0एम0 नई दिल्ली रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
5. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्याः 2851/सत्तर–2–2003–15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
6. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्ते महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
7. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
9. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों का बायोडाटा, आधार–कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।
10. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनॉक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/ 2012 दिनॉक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
11. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
12. संस्थान अनिवार्य रूप से AISHE की वेबसाइट पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
13. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011, दिनॉक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी। संस्था/महाविद्यालय द्वारा आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार के मानकानुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव, सी0सी0आई0एम0, जनकपुर, नई दिल्ली।
3. सचिव, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेद पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन, उ0प्र0, लखनऊ
6. **प्रबन्धक, एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ रोड, हारीपुर, गोण्डा।**
7. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
8. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
9. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि इस प्रति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग–इन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

433